



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक-4279/12-1, कोटबंगला दिनांक 04/05/2020

सेवा में,

वन संरक्षक,  
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड  
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के वि०खं० चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 7.152 है० (उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत 3.417 है०) वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/21335/2016.

सन्दर्भ :- आपका EDS letter dated 04.10.2019 तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी का पत्रांक-115/03 एल०ए० दिनांक 22.01.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण पर लगाई गई ऑनलाइन आपत्ति का निराकरण कर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या परियोजना पर स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है।

क्र. सं	आपत्ति	निराकरण
1	User agency may review employment generation details filled at section E in form A, Part -I.	It have been rectified.
2	Uploaded FRA documents are not in order. Please provide the FRA certificate with all annexure which uploaded at designated in form A, Part -I.	It have been rectified
3	Same documents have been uploaded in the place of MoU, Ownership proof & Non-encumbrance certificate at Para-L(iv)- f, g & h in form A, Part-I.	It have been rectified & corrected certificates are enclosed. (Annexure-2)
4	NPV calculation sheet has not been uploaded at Para-13 as additional information in Form-A Part-II.	It has been uploaded in para-13 (additional documents) of Part-I.

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


भवदीय


प्रभागीय वनाधिकारी  
उत्तरकाशी वन प्रभाग  
उत्तरकाशी।


## Non Encumberence Certificate


कार्य का नाम- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य ( 9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 3.417 हे० आरक्षित वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल 3.417 हे० के दोगुने क्षेत्र 6.834 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल जेमर खसरा नं०-1 रकवा-1.128 हे०, खसरा नं०-98-रकवा-0.439 हे०, खसरा नं०-1778 रकवा-0.582 हे० ग्राम बड़ेथ खसरा नं०-775-रकवा-1.621 हे०, ग्राम मेनोल-खसरा नं०-1089 रकवा-1.469 हे० खसरा नं०-4213 रकवा-0.955 हे०, खसरा नं०-4496 रकवा-0.439 हे०, कुल रकवा-6.635 हे० सिविल स्वयं भूमि में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में किसी अन्य प्रायोजन के लिये देय नहीं है तथा पूर्ण रूप से विवाद रहित है। अतः यह भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।


  
कनिष्ठ अभियन्ता  
नि०ख०, लो०नि०वि०  
चिन्यालीसौड़


  
सहायक अभियन्ता  
नि०ख०, लो०नि०वि०  
चिन्यालीसौड़


  
अधिसाक्षी अभियन्ता  
नि०ख०, लो०नि०वि०  
चिन्यालीसौड़

  
210 20 110  
JHJ

  
वन क्षेत्राधिकारी  
बरासू बनराजि

  
तहसीलदार  
डुण्डा

  
अधीन अधिकारी  
डुण्डा

  
प्रभणगीय वनाधिकारी  
उत्तरकाशी वन प्रभणग  
उत्तरकाशी


प्रपत्र 43.3


कार्य का नाम- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य ( 9.00 किमी० लम्बाई) निर्माण हेतु 3.417 हे० आरक्षित वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


MOU/Agreement executed between the present owner and the user agency


जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव जिसका क्षेत्रफल 3.417 हे० है, के हस्तान्तरण मामले में दो गुने क्षेत्रफल 6.834 हे० सिविल स्वयं पर राजस्व विभाग का स्वामित्व है। उक्त स्थल ग्राम जेमर खसरा नं०-1 रकवा-1.128 हे०, खसरा नं०-98-रकवा-0.439 हे०, खसरा नं०-1778 रकवा-0.582 हे० ग्राम बड़ेथ खसरा नं०-775-रकवा-1.621 हे०, ग्राम मेनोल-खसरा नं०-1089 रकवा-1.469 हे० खसरा नं०-4213 रकवा-0.955 हे०, खसरा नं०-4496 रकवा-0.439 हे०, कुल रकवा-6.635 हे० सिविल स्वयं भूमि में स्थित है। जिसका चयन वन विभाग के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल सर्वदा उपयुक्त है। वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति (प्रथम चरण की स्वीकृति) प्राप्त होने के पश्चात उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण कर दी जाएगी।


उपरोक्त परियोजन हेतु 3.417 हे० के एवज में दोगुनी अवनत सिविल स्वयं भूमि अर्थात् 6.834 हे० में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार प्रयुक्त एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


  
कनिष्ठ अभियन्ता  
नि०ख०, लो०नि०वि०  
चिन्यालीसौड़


  
सहायक अभियन्ता  
नि०ख०, लो०नि०वि०  
चिन्यालीसौड़


  
कनिष्ठ अभियन्ता  
नि०ख०, लो०नि०वि०  
चिन्यालीसौड़

  
20/08/2020  
कनिष्ठ अभियन्ता

  
वन क्षेत्राधिकारी  
बराचू बनराजि

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
चिन्यालीसौड़

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
चिन्यालीसौड़

  
प्रभन्गीव वनाधिकारी  
उत्तरकाशी वन प्रभाग  
उत्तरकाशी